झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०:- भ०नि०यो०-1-28/01- 85 दिनांक:- 11-5-16

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण हेतु निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य के लिए कन्सलटेन्ट पैनेल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

1) यह पैनेल वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए प्रभावी होगा।

2) भवन निर्माण संबंधी सभी कार्य केवल सूचीबद्ध वास्तुविद/परामर्शी के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनेल में सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों को किसी कार्य विशेष के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा सकेगा।

3) सामान्य तौर पर भवन निर्माण कार्य का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य को पैनेल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों/ख्याति प्राप्त वास्तुविद/कन्सलटेन्ट में से किन्हीं छः (6) कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित प्रारंभिक ले-आउट प्लानों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

I)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	-	अध्यक्ष
II)	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
III)	अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
IV)	मुख्य/सहायक वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य

अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता समिति के अध्यक्ष होंगे।

4) चयन समिति द्वारा जिस प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति दी जायेगी, कार्य उसी कन्सलटेन्ट को सौंपा जायेगा। चयन समिति द्वारा किसी भी प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में सूचीबद्ध/ख्याति प्राप्त कन्सलटेन्टों में से अन्य कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा सकती है।

5) कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर ही समर्पित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं हैं उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर (संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा।

जारी......2

6) कन्सलटेन्ट द्वारा समर्पित प्राक्कलन की जाँच भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी से कराये जाने के उपरान्त एवं नियमानुसार तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त योजना के प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई की जायेगी।

7) भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के कन्सलटेन्ट पैनेल में निम्नलिखित कन्सलटेन्टों को सूचीबद्ध किया जाता है :-

Sr.no.	Name & Address
1	**M/s ABHIJIT RAY & ASSOCIATES** 25-C, MIG Flats Sheikh Sarai-Ph-I New Delhi - 110017 Telephone No : 011-26014304 011-26014717 Fax : 011- 26015146 Email id : architectabhijit.ray@gmail.com
2	**ACRO VENTURES Pvt.Ltd.** K-1/39, Lower Ground Floor, Chitranjan Park,New Delhi-110019 Telephone No : 0121-40533201 Fax No : 0121-4053304 Email Id : info@acroventures.in
3	**INTERFACE ARCHITECTS Pvt. Ltd.** 003, Shree Ganesh Apartment, Nageshwar Colony, Boring Road,Patna - 800001 Telephone No - 2521648(O), 9431021391
4	**DDF CONSULTANTS Pvt. Ltd.** 501, B-9, ITL Twin Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 Telephone No : 47400500
5	**SEN & LALL CONSULTANTS Pvt. Ltd.** South Gandhi Maidan,Patna - 800001 Telephone No : 0612 - 2320946 Fax : 0612 - 2320948 Email : slcpl.consultants@gmail.com
6	**M/S VIOM ARCHITECTURE STUDIOS** 107, First floor Vikash Complex, Near Modi Height,Durga Mandir,Ratu Road, Ranchi, Jharkhand Telephone No : 9431347708, 8987447996 Email : viomstudios@gmail.com
7	**ENARCH CONSULTANTS Pvt. Ltd.** B-66, Sector-63, Noida - 201301(U.P.) Telephone : 0120-4318964, 4202182 Email : enarchindia@rediffmail.com
8	**APURB AND ASSOCIATES** Club Road, Ranchi Telephone No - 9334079708 Email : apurb_associates@yahoo.com
9	**THE GROUP** 4th floor, Arjun Place, 5, Main Road, Ranchi-1 Telephone No : 0651-2330275 E-mail : dharmendra_thegroup@yahoo.com
10	**PERCEPTION ASSOCIATES** Ground Floor, Trikoot Apartment, Radium Road, Ranchi-834001(Jharkhand) Telephone : 9771905159/ 993436 Email-id : perceptionassociates@gmail.com

जारी......3

11	**ATELIER CONSULTANT** 1St Floor, Gourav Enterprises,Kadru Division Road,(Near Hotel Yuvraj palace), Doranda, Ranchi - 834002 Telephone : 9934506291, 0651-2252760 Email : atelier.consultant@gmail.com
12	**ODYSSEY TECHNICAL & ECONOMIC CONSULTANTS** Plot no: B-2/304, Ground Floor Tara Nagar, Old Palam Road Kakrola,New Delhi-110078 Telephone no : 07597299455
13	**ARCHITECT & ENGINEER ASSOCITES** Rathod, 303, 3rd Floor, Circular Road, Lalpur, Ranchi, Jharkhand-834003 Mob- 9939372780, 9708550600
14	**RANCHI DESIGN & CONSULTANCY SERVICES Pvt. Ltd.** Manda Bagicha, Harihar Singh Road, Morabadi Ranchi - 834002 Telephone no : 0651-2412836 Email : rdcsindia1@gmail.com
15	**D IDEA ARCHITECTS** SD 141, Sector 45, Noida Telephone No - 0120-6516674 Email Id : info@d-ideaarchitects.com
16	**DESIGN CONSULTANT** 45,New A.G Co-Operative colony, Kadru, Ranchi-834002, Jharkhand
17	**ATULYA ARCHITECTS** 304 Anand Complex Near Lalpur P.S. H.B. Road Ranchi - 834001(Jharkhand) Telephone no : 0651-2212741 Email : atulyaarchitects@gmail.com
18	**VERMA & ASSOCIATES** AWAS shivpuri , Ranchi - 834008,Jharkhand Telephone no : 0651-6455402 E-mail : vijoykrverma@yahoo.co.in
19	**AKSHAYA JAIN & ASSOCIATES** C-6 / 6098, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Telephone no : 011-26132304 E-mail : mail@akshayjain.com

8) उपरोक्त सभी आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों का वास्तुविद् एवं निरूपण कर सकेंगे।

9) कन्सलटेन्ट के लिए भवन के साथ-साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना अनिवार्य होगा। जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन, लिफ्ट, लैण्डस्केपिंग एवं भवन संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, उनका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे।

10) झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से "हैन्डीकैप्ड" व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए भवनों का निरूपण हो।

11) कन्सलटेन्ट्स द्वारा कार्य कराने के लिए "प्रोजेक्ट कॉस्ट" के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दर निम्नवत् है :-

i) क) एक करोड़ तक की राशि–1.35% (एक दशमलव तीन पाँच प्रतिशत)

ख) एक करोड़ के उपर से पाँच करोड़ तक की राशि–1.25% (एक दशमलव दो पाँच प्रतिशत)

ग) पाँच करोड़ के उपर की राशि – 0.74 (शून्य दशमलव सात चार प्रतिशत)

निर्धारित उपरोक्त दर से सुस्पष्ट है कि किसी योजना/परियोजना की कुल लागत राशि को उपरोक्त श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए पूरे भुगतान की गणना की जायेगी, अर्थात् योजना की एक करोड़ तक की राशि क्रमांक 'क' एक करोड़ से ऊपर पाँच करोड़ तक की राशि क्रमांक 'ख' एवं पाँच करोड़ से ऊपर की राशि का अंश क्रमांक 'ग' के अनुरूप गणना करके भुगतेय होगा।

घ) लिफ्ट कार्य – 1.00% (एक प्रतिशत)

ङ) फायर प्रोटेक्शन कार्य – 1.00% (एक प्रतिशत)

च) लैण्ड स्केपिंग कार्य – 1.00% (एक प्रतिशत)

ii) पुनरावृत्ति कार्य के लिए कन्सलटेंट/वास्तुविद् को भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मूल दर का 50 प्रतिशत दर निर्धारित किया जाता है।

iii) ड्राईंग/डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए (पैकेज के) दर का Break up का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

क) आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राईंग– प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ख) स्ट्रक्चरल डिजाईन एण्ड ड्राईंग (जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, विद्युत कार्य, फायर फाईटिंग इत्यादि) – प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

ग) डी०पी०आर०/प्राक्कलन तैयार करना – प्रोजेक्ट कॉस्ट के कन्सलटेन्सी फी का एक तिहाई।

iv) साईट सर्वे एवं मृदा परीक्षण का दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

क) पाँच करोड़ तक के कार्य के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/– (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ भूमि एवं मृदा परीक्षण हेतु प्रत्येक बोर होल के लिए रू० 20,000/– (बीस हजार)।

ख) पाँच करोड़ से ऊपर दस करोड़ तक के कार्यों के लिये साईट सर्वे हेतु रू० 2000/– (दो हजार रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,000/– (बाईस हजार रूपये) प्रति बोर होल।

ग) दस करोड़ से ऊपर के कार्यों के लिए साईट सर्वे हेतु रू० 1800/– (अठारह सौ रूपये) प्रति एकड़ एवं मृदा परीक्षण हेतु रू० 22,500/– (बाईस हजार पाँच सौ रूपये) प्रति बोर होल।

v) कन्सलटेन्सी फीस का भुगतान- ड्राईंग/ डिजाइन/डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को समर्पित करने के समय ही कन्सलटेन्सी फीस का ब्यौरा अलग से विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त समर्पित फीस/ बिल के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान की कार्रवाई संबंधित प्रमंडल से की जायगी।

12) विभागीय कार्यालय आदेश- 119, सहपठित ज्ञापांक- 2509 (भ), दिनांक- 17.10.14 के द्वारा सूचीबद्ध पैनल वित्तीय वर्ष 2016-17 तक प्रभावी रहेगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

11.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 1465(भ) दिनांक :- 11-5-16

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/ सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः- 1465(भ) दिनांक :- 11-5-16

प्रतिलिपि :- सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/ परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।

11.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।